



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक एक/निग./छतरपुर/भू.सा./2017/60.69

श्री ~~लखन सिंह धका~~
द्वारा आज दि. 12-12-17 को
प्रस्तुत

बेलक ऑफ कोर्ट 12-12-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर



दिनांक 22-12-17

- 1- हरी पुत्र हल्कुआ 2-दयाराम पुत्र हल्कुआ धोवी
3- घसीटा पुत्र जनकिया 4-नन्दी पुत्र हर्षचना
5- हल्काई पुत्र पन्ना 6- रामकली पत्नी गोटीराम
निवासीगण- ग्राम सलैया, तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.)निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- गुविन्दी 2- रामसहाय
3- धन्सू पुत्रगण मथुरा घोवी
निवासीगण- ग्राम सलैया, तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.)
4- म.प्र. शासनप्रतिनिगरानीकर्तागण

**निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व
संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय मण्डल
महेवा, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर के क्रमांक
65/अ-3/16-17 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2017 के**

Lakhan Singh Dhaka
Advocate

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यहकि, प्रतिनिगरानीकर्ता क.1 द्वारा नायब तहसील महोदय महेवा, छतरपुर के
समक्ष एक आवेदनपत्र भूमि सर्वे क्रमांक 2234/1, 2235/1, 2237/2,
2238/1, 2930/4, 3044/4, 3044/4, 3045/4, 3049/4, की तरमीम
कराने वावत प्रस्तुत किया गया था। जिसे तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण
क्रमांक 65/अ-3/16-17 पर पंजीवद्ध किया गया। आवेदकगण अनावेदक
क्रमांक 1 लगायत 3 के सरहदी कृषक हैं। किन्तु उन्हें सूचना व सुनवाई का
अवसर दिये बगैर तहसीलदार महोदय द्वारा तरमीम नियमों को अनदेख करते
हुये अवैधरूप से आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.17 पारित किया गया।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधरूप से तरमीन का आदेश पारित करते
हुये आवेदकगण की भूमि में तरमीन की गयी है जिससे आवेदकगण का की
भूमि सर्वे क्रमांक 3040/1, 3040/2, 3041/1, 3041/2 का रकबा


श्रीमान् जी,
कार्यालय महाविद्यालय, ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.स./2017/6069

जिला – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.01.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ एवं अना0 क. 4 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 24.07.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 22.12.2017 को प्रस्तुत की गई है जो अवधि वाह्य है। विलंब के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है। यदि प्रकरण को गुण-दोष पर भी देखा जाए तो आलोच्य आदेश में नायब तहसीलदार ने स्पष्ट किया है कि सीमांकन में सरहदी कृषकों को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा विधिवत सूचना देकर तरमीम प्रस्ताव तैयार किया गया है। उनके आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश पारित किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	